आत्मनिर्भर भारत

भाग ४: विकास के नए क्षितिज

16.05.2020

सत्यमेव जयते
Government Of India

तेज गति से निवेश के लिए नीतिगत सुधार– ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में प्रयास

- **सचिवों के उच्चाधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के जरिए तेज गति से निवेश को मंजूरी**।
- निवेश योग्य परियोजनाओं को तैयार करने, निवेशकों और केंद्र/राज्य सरकारों के साथ समन्वय के लिए प्रत्येक मंत्रालय में **परियोजना विकास प्रकोष्ठ**।
- **नए निवेश हेतु प्रतिस्पर्धा करने के लिए निवेश आकर्षण क्षमता पर राज्यों की रैंकिंग**।
- सोलर पीवी के विनिर्माण; एडवांस्ड सेल बैटरी स्टोरेज जैसे सेक्टरों में **नए चैंपियन सेक्टरों को बढ़ावा** देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएंगी।

औद्योगिक अवसंरचना का उन्नयन

- **साझा अवसंरचना सुविधाओं और कनेक्टिविटी के औद्योगिक क्लस्टर उन्नयन के लिए चैलेंज मोड के माध्यम से राज्यों में योजना लागू की जाएगी।**

- **नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूमि / भूमि बैंक की उपलब्धता और जीआईएस मैपिंग के साथ औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस) पर जानकारी उपलब्ध कराना।**

  - **औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस)** पर मानचित्रण किए गए 5 लाख हेक्टेयर में 3376 औद्योगिक पार्क/सम्पदा/एसईजेड।

  - 2020-21 में **सभी औद्योगिक पार्कों की रैंकिंग** की जाएगी।

सत्यमेव जयते
Goverment Of India

विकास के नए क्षितिज

नीतिगत सुधार - कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की शुरुआत

प्रतिस्थापन वाले कोयले के आयात को कम करने और **कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता** बढ़ाने की आवश्यकता है।

सरकार निम्नलिखित के जरिए **कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी** की शुरुआत करेगी:

- **रुपये प्रति टन की निर्धारित व्यवस्था के बजाय राजस्व साझेदारी व्यवस्था**
  - इससे पहले, केवल अंतिम उपयोग संबंधी स्वामित्व के साथ स्व-उपयोग करने वाले उपभोक्ता ही बोली लगा सकते थे।
  - अब, कोई भी पार्टी किसी भी कोयला ब्लॉक के लिए बोली लगा सकती है और खुले बाजार में बेच सकती है।
- **प्रवेश संबंधी मानदंडों को उदार बनाया जाएगा।**
  - **लगभग 50 ब्लॉकों की पेशकश तुरंत की जाएगी।**
  - कोई पात्रता शर्त नहीं, केवल अग्रिम भुगतान जिसकी अधिकतम सीमा तय होगी।

नीतिगत सुधार - कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की शुरुआत

- **आंशिक रूप से खोजे गए ब्लॉकों के लिए अन्वेषण-सह-उत्पादन व्यवस्था।**
  - पूरी तरह से खोजे गए कोयला ब्लॉकों की नीलामी करने के पिछले प्रावधान के बजाय अब यहां तक कि *आंशिक रूप से खोजे गए ब्लॉकों की भी नीलामी की जाएगी*।
  - अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी जाएगी।
- **निर्धारित समय से पहले ही उत्पादन शुरू करने पर राजस्व-साझेदारी में छूट के जरिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।**

नीतिगत सुधार – कोयला क्षेत्र में विविध अवसर – 50,000 करोड़ रुपये का निवेश

- **राजस्व साझेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण/द्रवीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।**
  - इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रभाव में काफी कमी आएगी
  - भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी
- **आधारभूत ढांचे के विकास पर 50,000 करोड़ रुपये निवेश**
  - सीआईएल के 2023-24 तक 1 अरब टन कोयला उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य के साथ अतिरिक्त उत्पादन की निकासी के साथ ही निजी ब्लॉक्स से कोयले का उत्पादन।
  - खदानों से रेलवे लाइनों तक कोयले (कन्वेयर बेल्ट) के यंत्रीकृत हस्तांतरण में 18,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
  - इन कदमों से पर्यावरण के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

नीतिगत सुधार – कोयला क्षेत्र में उदारीकृत व्यवस्था

- कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की कोयला खदानों से **कोल बेड मीथेन (सीबीएम) निकासी** के अधिकारों की नीलामी।
- खदान योजना सरलीकरण जैसे **कारोबारी सुगमता उपाय** किए जाएंगे।
  - खनन योजना को छोटा कर दिया गया है, लोडिंग को ऑनलाइन करना जरूरी बनाया गया है।
  - वार्षिक उत्पादन में स्वचालित रूप से 40 प्रतिशत बढ़ोतरी को अनुमति दे दी गई है।
- **सीआईएल के ग्राहकों को व्यावसायिक शर्तों में रियायत दी गई है (5,000 करोड़ रुपये की राहत की पेशकश की गई)**
  - गैर विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नीलामियों में आरक्षित मूल्य में कमी, उधारी की शर्तों में छूट दी गई है और उठान की अवधि बढ़ा दी गई है।

खनिज क्षेत्र में निजी निवेश में बढ़ोतरी

विकास, रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए ढांचागत सुधार और मुख्य रूप से अन्वेषण में विशेष (स्टेट ऑफ द आर्ट) तकनीक को लाना:

- **एक निर्बाध समग्र अन्वेण- सह- खनन- सह- उत्पादन व्यवस्था की पेशकश।**
- मुक्त एवं पाररदृशी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से **500 खनन ब्लॉकों की पेशकश** की जाएगी।
- एल्युमीनियम उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए **बॉक्साइट और कोयला खनन ब्लॉकों की संयुक्त रूप से नीलामी** की पेशकश की जाएगी। इससे एल्युमीनियम उद्योग में बिजली की लागत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

नीतिगत सुधार - खनिज क्षेत्र

- खनन पट्टों के हस्तांतरण और अतिरिक्त खनिजों की बिक्री का रास्ता साफ करने के लिए **कैप्टिव (निजी उपयोग) और गैर कैप्टिव खदानों के बीचे के अंतर को खत्म किया गया**, जिससे खनन और उत्पादन की दक्षता में सुधार होगा।
- खान मंत्रालय विभिन्न खनिजों के लिए **खनिज सूचकांक** के विकास की प्रक्रिया में है।
- खनन पट्टों के आवंटन के समय भुगतान की जाने वाली **स्टैम्प ड्यूटी में व्यवस्थित बदलाव**।

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना

- **रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 'मेक इन इंडिया':**
  - वर्ष वार समयसीमा के साथ आयात पर प्रतिबंध के लिए हथियारों / प्लेटफार्मों की एक सूची को अधिसूचित करना;
  - आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण;
  - घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए अलग बजटीय प्रावधान।
  - ये भारी रक्षा आयात बिल को कम करने में मदद करेगा।
- **आयुध निर्माणी बोर्ड के कॉरपोरेटीकरण** द्वारा आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार।

नीतिगत सुधार - रक्षा उत्पादन

- **स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जाएगी**
- **समयबदध रक्षा खरीद प्रक्रिया** और तेजी से निर्णय लेने की प्रणाली को इसमें लाया जाएगा:
  - अनुबंध प्रबंधन का समर्थन करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना करते हुए;
  - हथियारों / प्लेटफार्मों की जनरल स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताओं (जीएसक्यूआर) की यथार्थवादी स्थापना करते हुए;
  - ट्रायल और टेस्टिंग प्रक्रियाओं का जीर्णोद्धार करते हुए

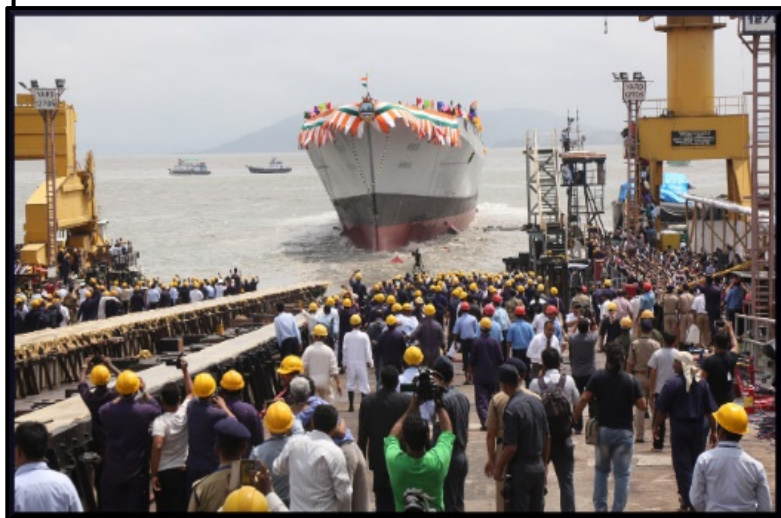

उड़ान लागत में 1000 करोड़ रुपये की कमी - नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयरस्पेस प्रबंधन

- भारतीय हवाई क्षेत्र का केवल 60 प्रतिशत ही स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है।
- **भारतीय हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंधों को कम किया जाएगा** ताकि नागरिक उड़ानें अधिक कुशल हों।
- ये विमानन क्षेत्र के लिए **प्रति वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपये का कुल लाभ** लाएगा।
- हवाई क्षेत्र का इष्टतम उपयोग; ईंधन के उपयोग और समय में कमी।
- सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव।

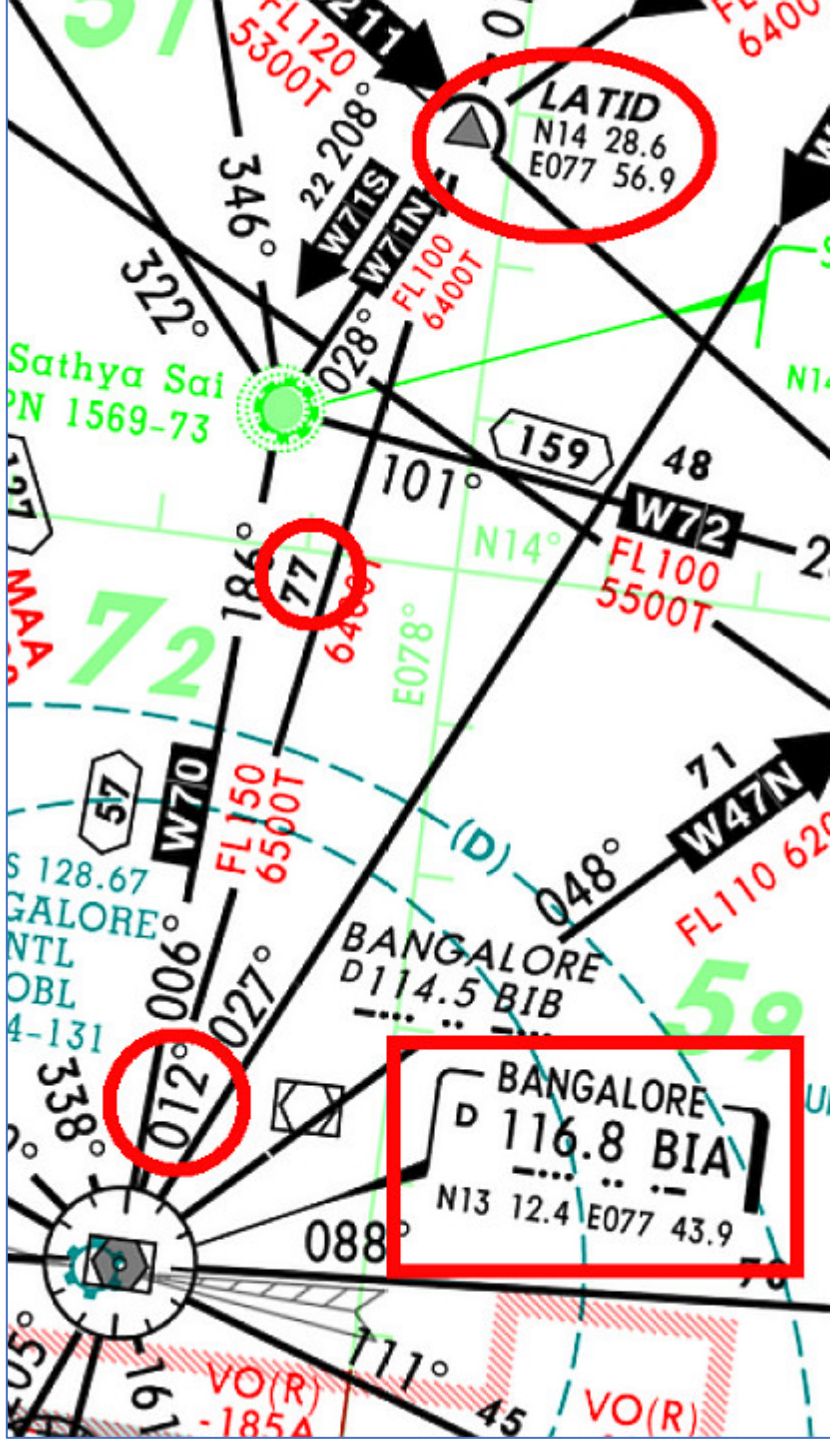

पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे

- एएआई ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) आधार पर परिचालन और रखरखाव के लिए 6 बोलियों में से 3 हवाई अड्डों को सौंपा है।
- पहले दौर में 6 हवाई अड्डों का वार्षिक राजस्व - 1000 करोड़ रुपये (वर्तमान में प्रति वर्ष 540 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में)। एएआई को 2300 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान भी मिलेगा।
- दूसरे दौर के लिए **6 और हवाई अड्डों** की पहचान। बोली प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी।
- पहले और दूसरे दौर में **12 हवाई अड्डों में निजी कंपनियों द्वारा अतिरिक्त निवेश** लगभग **13,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान**।
- **तीसरे दौर की बोली के लिए 6 और हवाई अड्डों को रखा जाएगा**।

एमआरओ इकोसिस्टम के लिए कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाया गया है।

- विमान के एक हिस्से की मरम्मत और एयरफ्रेम रखरखाव तीन वर्षों में 800 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000 करोड़ रुपये हो गया।
- दुनिया के प्रमुख इंजन निर्माता आने वाले वर्ष में भारत में इंजन मरम्मत की सुविधा स्थापित करेंगे।
- उत्पादन का स्तर बढ़ने से लागत में प्राप्त आनुपातिक बचत (इकॉनामीज़ ऑफ स्केल) करने के लिए **रक्षा क्षेत्र और असैनिक एमआरओ का आपस में सम्मिलन किया जाएगा।**
- **एयरलाइंस की रखरखाव लागत में कमी आएगी।**

सीमा शुल्क नीति में सुधार

सीमा शुल्क नीति का खाका बनाते समय निम्नलिखित सुधार किए जाएंगे :

ए. उपभोक्ता के अधिकार

- वितरण कम्पनियों की अक्षमताओं से उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ेगा।
- वितरण कम्पनियों के लिए सेवा के मानक और सम्बद्ध दंड।
- वितरण कम्पनियां पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करेंगी; लोड शेडिंग (बिजली में कटौती) करने पर दंडित।

बी. उद्योग को बढ़ावा

- क्रॉस सब्सिडी में क्रमिक कटौती
- खुली पहुंच के लिए समयबद्ध अनुमति
- उत्पादन और ट्रांसमिशन (पारेषण) परियोजना के डेवलपर्स का चयन प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से किया जाएगा।

सी. क्षेत्र की स्थिरता

- कोई नियामक परिसम्पत्ति नहीं
- बिजली उत्पादन कम्पनी को समय पर भुगतान
- सब्सिडी के लिए डीबीटी; स्मार्ट प्रीपेड मीटर

संघ शासित प्रदेशों में वितरण का निजीकरण

- बिजली वितरण और आपूर्ति श्रेष्ठतम स्तर तक नहीं।
- बिजली विभाग / संघ शासित प्रदेशों में जनोपयोगी सेवाओं का निजीकरण किया जाएगा।
- उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी और वितरण में परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार आएगा।
- देश भर में अन्य जनोपयोगी सेवाओं द्वारा अनुसरण करने योग्य एक मॉडल प्रदान किया जाएगा।

सामाजिक अवसंरचना में पुनर्निर्मित वायबिलिटी गैप फंडिंग (व्यवसायिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए वित्तीय मदद) योजना के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहन- 8100 करोड़ रुपये

- सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं को खराब व्यवहार्यता के कारण हानि होती है।
- केंद्र और राज्य/संवैधानिक निकायों द्वारा वीजीएफ के रूप में सरकार **वायबिलिटी गैप फंडिंग की मात्रा** प्रत्येक परियोजना की कुल लागत के 30 प्रतिशत तक बढ़ाएगी,
- अन्य क्षेत्रों के लिए, वीजीएफ भारत सरकार और राज्य/संवैधानिक निकायों, प्रत्येक की ओर से दी जा रही मौजूदा 20 प्रतिशत सहायता जारी रहेगी।
- **कुल परिव्यय 8100 करोड़ रुपये है।**
- परियोजनाएं केंद्रीय मंत्रालयों / राज्य सरकार / संवैधानिक इकाइयों द्वारा प्रस्तावित की जाएंगी।

अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन

- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की यात्रा में भारतीय निजी क्षेत्र को सह-यात्री बनाया जाएगा।
  - उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में **निजी कम्पनियों को समान अवसर** उपलब्ध कराए जाएंगे।
  - निजी कम्पनियों को **अनुमानित नीति और विनियामक वातावरण** उपलब्ध कराया जाएगा।
  - निजी क्षेत्र को अपनी क्षमताओं में सुधार लाने के लिए **इसरो सुविधाओं और उपयुक्त परिसंपत्तियों का उपयोग** करने की इजाजत दी जाएगी।
  - ग्रहों की खोज और दूसरे ग्रहों की यात्रा आदि के लिए **भविष्य की परियोजनाओं** को भी **निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा।**
  - टेक-आन्ट्रप्रनर्स (तकनीक- उदयमियों) को रिमोट-सेंसिंग डेटा प्रदान करने के लिए **उदार भू-स्थानिक डेटा नीति**

परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुधार

- मेडिकल आइसोटोप के उत्पादन के लिए **पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर की स्थापना करना** - कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए सस्ते उपचार के माध्यम से मानवता के कल्याण को बढ़ावा देना।
- खादय संरक्षण हेतु विकिरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए **पीपीपी मोड में सुविधाएं** स्थापित करना- कृषि सुधारों को पूर्णता प्रदान करने और किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए।
- भारत की मजबूत स्टार्ट-अप प्रणाली को परमाणु क्षेत्र से जोड़ना - अनुसंधान सुविधाओं और टेक-आन्ट्रप्रनर्स (तकनीक- उदयमियों) के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए **प्रौदयोगिकी विकास सह इन्क्यूबेशन सेंटर** स्थापित किए जाएंगे।

सत्यमेव जयते
Goverment Of India

धन्यवाद